झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–216 वर्ष 2017

लक्ष्मी देवी, पत्नी–स्वर्गीय राम चन्द्र महतो, निवासी ग्राम–कटसेमला, डाकघर–लतड़ा, थाना–कर्रा, जिला–खुंटी (झारखण्ड) .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य द्वारा सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, खुंटी, डाकघर एवं थाना एवं जिला–खुंटी।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री के0एस0 नंदा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– श्री भवेश कुमार, एस0सी0–II

2/दिनांक:30वीं जनवरी, 2017

1. तत्काल रिट आवेदन में, याचिकाकर्त्ता ने अन्य बातों के साथ–साथ देय राशि पर अनुपयुक्त छुट्टी के लिए छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए उत्तरदाताओं को रिट/निर्देश के लिए प्रार्थना की है क्योंकि उसके पति की मृत्यु के बाद भी याचिकाकर्त्ता को इसका भुगतान नहीं किया गया है।

2. रिट आवेदन में बताए गए तथ्य यह है कि याचिकाकर्त्ता के पति को वर्ष 1975 में जुबली उच्च विद्यालय, गोविंदपुर, कर्रा, खुंटी में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने पर 31.05.2006 को सेवानिवृत हुए थे। जिस स्कूल से याचिकाकर्त्ता सेवानिवृत हुआ है, वह सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त उच्च विद्यालय है और विचाराधीन स्कूल के कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत लाभों के भुगतान की सभी खर्च सरकारी खजाने से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित और निधित किया जा रहा है।

3. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्त्ता की शिकायत बहुत संकीर्ण दायरा में निहित हैं और डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 506, 509 और 512 वर्ष 2013 में पारित इस न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह से आच्छादित है। जहां तक छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए मुद्दा है, याचिकाकर्त्ता का पति सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त उच्च विद्यालय का सेवानिवृत कर्मचारी है और यह मुद्दा अनिर्णीत विषय नहीं है, इस न्यायालय के द्वारा मरियत तिर्की बनाम झारखंड राज्य और अन्य में पारित निर्णय के मद्देनजर जो (2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465) में रिपोर्ट की गई और अब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव टू अपील (सी) संख्या 20606–20607/2014 दिनांक 15.12.2014 में पारित निर्णय के द्वारा पुष्टि किया गया। तद्नुसार, याचिकाकर्त्ता को छुट्टी नकदीकरण राशि के भुगतान के लिए दिए गए निर्णय के मद्देनजर रिट याचिका का निपटान किया जा सकता है।

5. उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि गैर–सरकारी अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक को देय अवकाश नकदीकरण से संबंधित उपरोक्त मुद्दा जो मरियम तिर्की (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा तय किया गया है और इसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है।

6. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्त्ता के पति के संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में याचिकाकर्त्ता की ओर से अभ्यावेदन के साथ आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर मरियम तिर्की (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी सं0 3 को निर्देश देते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

7. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(श्री प्रमाथ पटनायक, न्याया0)